

श्री राजेश कुमार, भा0प्र0से0, आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक-27.03.2025 को आयोजित विभिन्न सरकारी योजना/आधारभूत संरचना निर्माण हेतु 0-5 एकड़ तक भूमि हस्तारण की समीक्षा हेतु समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

### उपस्थिति :-पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तदोपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

- सभी जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादित किया जाय। वर्ष 2023 के मामलों को 15 दिनों के अंदर निष्पादित किया जाय। जिला पदाधिकारी आवास, प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन, पंचायत सरकार भवन, फायर सर्विस भवन, हैलीपैड, जेल/सब जेल, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज, बस स्टैंड तथा नगर निकाय Landfill Sites हेतु जमीन उपलब्ध कराने के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

- समीक्षोपरांत जिलावार स्थिति निम्नवत पाई गई-

#### 1. पूर्णिया:-

- पूर्णिया जिला के प्रतिवेदन के अनुसार कुल-13 मामले लंबित हैं।
- वर्ष 2023 के पूर्व के दो मामले हैं। इसे शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया।
- खेल विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित पत्र पर शीघ्र कार्रवाई की जाय।

#### 2. किशनगंज:-

- किशनगंज जिला के प्रतिवेदन के अनुसार कुल-24 मामले लंबित हैं।
- वर्ष 2023 या उससे पहले के सभी मामले को निष्पादित करने का निदेश दिया गया।
- आंगनबाड़ी केन्द्र के कई मामले लंबित हैं, इसे शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया।
- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II, किशनगंज का कार्यालय एवं आवास हेतु निर्माण का कार्य जल्द पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
- समाज कल्याण विभाग अंतर्गत पर्यवेक्षण गृह निर्माण का कार्य जल्द पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

#### 3. अररिया:-

- अररिया जिला के प्रतिवेदन के अनुसार कुल-36 मामले लंबित हैं।
- सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत दो अधियाचना जिला पदाधिकारी, अररिया के आवास निर्माण एवं स्थाई हैलीपैड निर्माण को जल्द निष्पादित करने का निदेश दिया गया।
- वर्ष 2023 या उससे पहले के सभी मामले को शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया।
- इंजीनियरिंग कॉलेज, यातायात थाना भवन, बस स्टैंड निर्माण, पंचायत सरकार भवन, सम्राट अशोक भवन निर्माण, नगर निकाय एवं आपदा विभाग अंतर्गत सभी मामले में भूमि उपलब्धता शीघ्र सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

#### 4. कटिहार:—

- अपर समाहर्ता, कटिहार के प्रतिवेदन के अनुसार कुल-14 मामले लंबित है।
- वर्ष 2023 या उससे पहले के सभी मामले को शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया।
- आज दिनांक-27.03.2025 को अग्निशमन पदाधिकारी की समीक्षा की गई। उनके द्वारा बताया गया कि मनिहारी में अनुमंडल अग्निशामालय के लिए अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि अपर समाहर्ता से प्राप्त प्रतिवेदन में उसका जिक्र ही नहीं है। अर्थात् कटिहार का प्रतिवेदन सही रूप से नहीं बना है। अपर समाहर्ता, कटिहार को जाँचोपरांत शतप्रतिशत लंबित मामलों का प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया जाता है।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

R  
आयुक्त,

पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक.....1592 दिनांक.....02-04-25

प्रतिलिपि:— प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— अपर समाहर्ता, राजस्व, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— समाहर्ता, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

R  
आयुक्त,

पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक.....1592 दिनांक.....02-04-25

प्रतिलिपि:— अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

Rac.  
01/4/25.  
आयुक्त,

पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

01c